PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/3058

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

1. जवाहर सिंह पिता रूपसिंह जाति बंजारा

निवासी जमन्या तह. भैंसदेही जिला बैतूल (मृत)

2. लडिया बाई पति तंगा जाति बंजारा

निवासी जमन्या तह. भैंसदेही जिला बैतूल म०प्र०

3. मंगा पिता स्व० जवाहर सिंह जाति बंजारा

नि. जमन्या तहसील भैंसदेही जिला बैतूल म०प्र० -----पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

नूमा पति नानू जाति बंजारा

निवासी जमन्या तह. भैंसदेही जिला बैतूल म०प्र० ------उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०राजस्व संहिता

==

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्र.क्र. 22अ/अपील 2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 4.7.17 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

निगरानी कें

अधिवक्ता श्री केशव दुबे जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत

26/08/2017

A.S.

आफिस कार्य हेतु 28.8.17

प्राप्त 28-8-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./बैतूल/भू–रा/2017/3058 **जिला बैतूल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–09–2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	